

NO 5970/2018/सिंगरौली/क-श

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल लिंक कोर्ट

रीवा (म.प्र.)



1- बाबूलाल साहू पिता स्व० रामस्वरूप साहू

2- लक्ष्मिन साहू पिता स्व० रामस्वरूप साहू

दोनो निवासी ग्राम-सेमरिया टोला, तहसील-सरई,

जिला-सिंगरौली (म०प्र०)

—पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम

—गैर पुनरीक्षणकर्तागण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू
राजस्व संहिता सन् 1959 ई०

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश न्यायालय
श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील
सरई, जिला-सिंगरौली (म०प्र०) आदेश
दिनांक 07.09.2018 जो प्रकरण
कमांक-0052/अ-74/17-18 मे पारित

मान्यवर,

पुनरीक्षण निम्न आधारों पर प्रस्तुत है-

- 1- अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 07.09.2018 सर्वथा विधि के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त होने योग्य है।
- 2- अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश नियत करने का केवल यह आधार वर्णित किया कि आदेश दिनांक 02.12.1999 जो प्रकरण

24/9/18

52

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R. 5970 - सिगरोली/1/18 जिला - सिगरोली

वाबूलाल साह विरुद्ध शासन (म.प्र.)

(1)	(2)
16-12-18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री राकेश तिवारी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार/ नमब तहसीलदार/ सजस्व निरीक्षक, तहसील सरर के प्रकरण क्रमांक S2/A34/17-18 में पारित आदेश दिनांक 7.9.18 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सिगरोली के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 6.3.19 को कलेक्टर सिगरोली के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">[Signature] सदस्य</p>

जमानत न्यायालय न जाकर निवृत्त करण का फल वह आधार
वर्णित किया कि आदेश दिनांक 02.12.1999 जो प्रकरण

[Signature]
24/1/18